



UPMP040149022026

न्यायालय C.J.M., Mainpuri

पीठासीन अधिकारी- (SMT. SHILPI CHATURVEDI) - उ०प्र० न्यायिक सेवा – UP02071

Criminal Misc. Cases/1528/2026
आपराधिक वाद संख्या 2343/2026
राज्य बनाम नन्दकिशोर

दिनांक 04.06.2026

पत्रावली प्रस्तुत हुयी। आवेदक नन्दकिशोर की ओर से आपराधिक वाद संख्या 2343/2026 अपराध संख्या यू.पी. 339940260526183754 थाना भोगांव जिला-मैनपुरी के प्रकरण में थाने पर निरुद्ध वाहन संख्या यू.पी.84 ए.क्यू. 7160 को अपनी सुपुर्दगी में दिए जाने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

सुना। सम्बन्धित चालानी एवं अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रश्रगत वाहन के प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपने जुर्म को स्वीकार किया जा चुका है। सम्बन्धित थानाध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त वर्णित मामले में निरुद्ध प्रश्रगत वाहन किसी अन्य अपराध में वांछित न हो तो उसके वास्तविक स्वामी/आवेदक की पहचान कर उसकी सुपुर्दगी में दे देवें।

शिल्पी चतुर्वेदी
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मैनपुरी

आशीष प्रजापति,
पी.ए.

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मैनपुरी

आपराधिक वाद संख्या 2343/2026

राज्य बनाम नन्दकिशोर

दिनांक 04.06.2026

पत्रावली प्रस्तुत हुयी। आवेदक ध्रुवजीत की ओर से आपराधिक वाद संख्या 2343/2026 अपराध संख्या यू.पी. 339940260526183754 थाना भोगांव जिला-मैनपुरी के प्रकरण में स्वेच्छया जुर्म स्वीकारोक्ति हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त ने स्वेच्छया से अपना जुर्म स्वीकार किया है।

सुना तथा अवलोकन किया।

आवेदक द्वारा वाहन से सम्बन्धित सभी मूल प्रपत्रों को प्रस्तुत किया गया तथा छायाप्रतियां दाखिल की गयी। आवेदक ध्रुवजीत को स्वेच्छया जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अन्तर्गत धारा 207 एम.वी.एक्ट में 5,200/- रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड अदा न करने पर उसे उक्त अपराध में दो दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

शिल्पी चतुर्वेदी

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मैनपुरी

आशीष प्रजापति,
पी.ए.